	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 14, मंगलवार, *शाके* 1945-सितम्बर 05, 2023 *Bhadra 14, Tuesday , Saka 1945- September 05, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 19, 2023

संख्या प. 2(7)वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारी की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पुर्वावत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन घर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित बन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आवेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज

का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

शासन सचिव, वन

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			विवरण			
				दिशा	भूमि	खसरा नं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा में)	क्षेत्रफल (है0 में)
1	रक्षित वनखण्ड बांसखेडा	खानपुर	झालावाड,	पूर्व	राजस्व भूमि	87/348	बांसखेडा	87	46 बीघा 07 बिस्वा	7.5029
				पश्चिम	राजस्व भूमि	86				
				उत्तर	ग्रे.मु. नाला	71				
				दक्षिण	सीमा ग्राम चमलासा	-				
2	रक्षित वनखण्ड बांसखेडा	खानपुर	झालावाड,	पूर्व	राजस्व भूमि	94	बांसखेडा	91	11 बीघा 02 बिस्वा	1.7968
				पश्चिम	राजस्व भूमि	90				
				उत्तर	नदी	98				
				दक्षिण	सीमा ग्राम चमलासा	-				
3	रक्षित वनखण्ड बांसखेडा	खानपुर	झालावाड,	पूर्व	राजस्व भूमि	111, 112, 113	बांसखेडा	114	31बीघा 03 बिस्वा	5.0424
				पश्चिम	राजस्व भूमि	111, 61, 62				
				उत्तर	राजस्व भूमि	117/349 17/360, 117, 117/361 117/384				
				दक्षिण	ग्रे.मु. नाला	71				
							योग:-		**88बीघा 12बिस्वा**	**14.3421**

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

द्वितीय अनुसूची वनखण्ड बांसखेडा

पेड़ो की सूची

क्रम संख्या	वानस्पतिक नाम	हिंदी नाम
1	Acacia nilotica	देशी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाडी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिगोंट
5	Acacia leucophloea	रोंझ
6	Dalbergia sissoo	शीशम
7	Holoptelia integriolia	चुरेल

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

प्रमाण-पत्र

जिला :- झालावाड

तहसील :- खानपुर

रेंज :- खानपुर

रक्षित वनखण्ड :- बांसखेड़ा

ग्राम :- बांसखेडा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण परवन मध्यम सिंचाई परियोजना के विरूद्ध प्राप्त गैर वन भूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चुकी है। भूमि की किस्म गे मु० जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यों के कराये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न हैं जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक हैं। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
6. इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।
7. वनखण्ड में से खसरा नं. 71 गै० मु० नाला गुजर रहा है। ये खसरे वन भूमि के नाम आवंटित नहीं हुये है। वर्तमान में उक्त खसरे खाता सरकार के नाम दर्ज है।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(राजेन्द्र कुमार मीणा) **(वी. चेतन कुमार IFS)**
क्षेत्रीय वन अधिकारी **उप वन संरक्षक**
खानपुर **झालावाड़**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।